हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार

46वीं बोर्ड बैठक का एजेण्डा

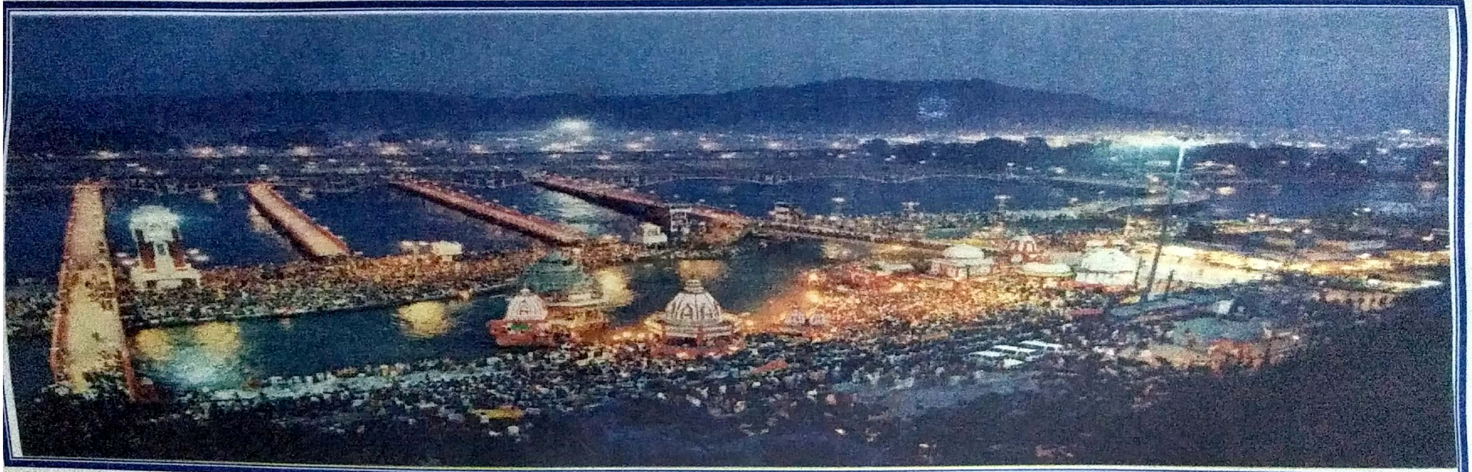

दिनॉक 25-05-2009 समयः पूर्वान्ह 11:30 बजे

स्थानः हरिद्वार विकास प्राधिकरण, हरिद्वार सभागार

अनुक्रमणिका

क0सं0	मद संख्या	विषय	पृष्ट संख्या
1	45 वीं बोर्ड बैठक की पुष्टि	कार्यवृत्त का अनुपालन	01—08
2	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 01	प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009—10 का प्रस्तावित आय—व्यय। वित्तीय वर्ष 2009—10 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय—व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।	9—13
3	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 02	प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप्प 2006— 2025 पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावो के सम्बन्ध में ।	14
4	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 03	ऋषिकेश महायोजना भाग—ब का प्रारूप (2011—2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में ।	15
5	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 04	हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों का होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक ।	16
6	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 05	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में।	17
7	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 06	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग—2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में।	18
8	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 07	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी ।	19
9	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 08	श्री डी0के0 अग्रवाल , हरिद्वार—ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में ।	20
10	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 09	ग्राम अहमदपुर कडच्छ, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार—रूड़की मुख्य मार्ग पर सैनी आश्रम के सामने होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक ।	21
11	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 10	निदेशक, मैसर्स सेरेन टूरिज्म वैंचर्स, ग्राम घुघत्यानी तल्ली जिला टिहरी गढवाल के भू—उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।	22
12	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 11	श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला—हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।	23
13	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 12	श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला—हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।	24
14	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 13	श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला— हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।	25
15	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 14	निदेषक, मैसर्स सिद्धान्त प्रमोटर्स, ग्राम अन्नेकी हेतमपुर, परगना ज्वालापुर, जिला— हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।	26
16	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 15	बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, श्यामपुर, हरिद्वार के भू—उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।	27
17	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 16	कु0ऋतु पाठक पुत्री श्री यशपाल पाठक शिवलोक योजना भाग—2 में भवन संख्या—एच—10ए में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।	28
18	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 17	श्रीमती जानकी पाण्डेय पत्नी श्री भोलादत्त पाण्डेय शिवलोक भाग —2 में भवन संख्या—एच—9ए में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।	29
19	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 18	श्री मति पुनीता सहगल शिवलोक आवासीय योजना भाग—2 में भवन संख्या :— एम—3बी0 प्रथम तल में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध में	30—31
20	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 19	कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि में मूल वेतन,डी0पी0वेतन एंव देय महंगाई के योग पर 10 प्रतिशत अंशदान योजना लागू करने के सम्बन्ध मे।	32
21	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 20	प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त लेखपाल के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।	33
22	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 21	हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अंतर्गत हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट होस्टल का निर्माण कार्य कराने हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषयक ।	34
23	46 वीं बोर्ड बैठक मद सं0 22	हरिद्वार ज्वालापुर रोड़ पर आर्यनगर चौक के समीप श्री मति नीता रानी व श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक	35

प्राधिकरण की 45वीं बोर्ड़ बैठक दि0 25.10.2008 को आयोजित की गई थी इस कार्यवृत्त पर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुये हैं। अतः निवेदन है कि 45 वीं बोर्ड़ बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की जाये।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण, की 45 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25–10–2008 की अनुपालन_आख्याः–

मद संख्या	विषय	निर्णय	अनुपालन
45.मद संख्या–1	श्री दीपक भारद्वाज पुत्र श्री पी0एस0भारद्वाज द्वारा ग्राम सुल्तानपुर मजरी, परगना ज्वालापुर, तहसील व जिला हरिद्वार स्थित भूमि पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र सं0–आर0ई0–01/45/08–09 स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही की गई। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है ।
45.मद संख्या–2	श्री गुलशन अदलखा, श्री श्याम अदलखा पुत्र श्री बसन्त अदलखा द्वारा ग्राम हरिपुर कलॉ, ऋषिकेश जिला देहरादून के खसरा नम्बर–149, हरिद्वार–ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित, जिसका क्षेत्रफल 3992 वर्गमीटर है पर होटल निर्माण हेतु मानचित्र सं0–आर0ई0–01/ 398/07–08 की स्वीकृति के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में कार्यवाही करते हुये मानचित्र दिनांक :28.01.2009 को स्वीकृत किया गया प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

45.मद संख्या–3 :	ग्राम अतमलपुर बोंगला परगना ज्वालापुर तहसील व जिला हरिद्वार के खसरा नम्बर 927, 928 के कृषि भू–उपयोग को आवासीय भू–उपयोग परिवर्तन किये सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	शासन के पत्र संख्या– 1748 दिनांक 23.10.08 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या– 3021 दिनांक 14.11.2008 द्वारा प्रस्ताव निरस्त किया गया । प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–4 :	मै0 स्नेह सोनिया इण्टरनेशनल होटल्स प्रा0लि0 के मानचित्र संख्या–17/06–07 के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण सम्पूर्ण तथ्यों सहित शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में सम्पूर्ण प्रकरण तथ्यों सहित शासन को कार्यालय के पत्र संख्या– 2994 दिनांक 12.11.2008 के द्वारा संदर्भित किया गया। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–5 :	हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय के पास खाली पड़ी नजूल भूमि पर ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता	निर्णय के अनुपालन में नगर पालिका परिषद हरिद्वार का पत्र सं0–1143 दि0 16.12.2008 प्राधिकरण को प्राप्त हुआ। प्रकरण शासन को इस कार्यालय के पत्र सं0 4528 दि0 07.02.2009 द्वारा प्रेषित किया गया जिस पर शासन के पत्र सं0 319 दि0 18. 02.2009 के अन्तर्गत बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त की प्रति मांगी गई जिसे कार्यलय के पत्र सं0 5140 दि0 25.03.2009 को प्रेषित की जा चुकी है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।

45.मद संख्या–6 :	हरिद्वार में आवासीय समस्या के समाधान हेतु सरकारी /अर्द्ध सरकारी/ ग्राम सभा की भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करते हुए प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	प्रकरण शासन को इस कार्यालय के पत्र संख्या– 2491 दिनांक 10.10.08 के द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–7 :	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में अवशेष सम्पत्तियों के विक्रय हेतु विक्रय मूल्य का पुर्न निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मूल्य निर्धारण नियमानुसार शासनादेशों के अनुसार किया गया तो प्रस्ताव पर बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नही है। प्रस्ताव वापस किया किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	बोर्ड के निर्णय के क्रम में शासनादेश अनुसार Recosting की स्वीकृति सक्षम अधिकारी (उपाध्यक्ष) द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–8 :	ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत रिक्त सम्पत्तियों का मूल्यांकन विषयक ।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि मूल्य निर्धारण नियमानुसार शासनादेशों के अनुसार किया गया तो प्रस्ताव पर बोर्ड के अनुमोदन की आवश्यकता नही है। प्रस्ताव वापस किया किया गया तथा प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में शासनादेश के अनुसार Recosting की स्वीकृति सक्षम अधिकारी (उपाध्यक्ष) द्वारा अनुमोदन किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त है।

45.मद संख्या–9 :	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में अवशेष सम्पत्तियों का विक्रय।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि रिक्त सम्पत्ति का विक्रय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण के माध्यम से एवं साथ ही साथ इस चरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत पात्र आवेदक न मिलने से रिक्त सम्पत्ति को सामान्य वर्ग से आवंटित करने एवं व्यावसायिक व स्कूल की सम्पत्ति का निविदा सह नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवंटन किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में शासनादेश में उल्लेखित आरक्षण व्यवस्था के अनुसार ही इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में आवासीय अवशेष सम्पत्तियों के विक्रय किये जाने हेतु पुनः पंजीकरण दि0 01.02.2009 से 20.03.2009 तक खोला गया एवं व्यवसायिक व स्कूल की सम्पत्ति का निविदा सह नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार करतें हुये की जायेगी।प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–10 :	ट्रांसपोर्ट नगर योजना में आवंटन से रिक्त सम्पत्तियों के विक्रय के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि रिक्त सम्पत्ति का विक्रय शासनादेश में निर्धारित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकरण के माध्यम से एवं साथ ही साथ इस चरण में पर्याप्त आरक्षण व्यवस्था के	निर्णय के अनुपालन में नियमानुसार शासनादेशों के अनुसार प्राधिकरण में अवशेष भूखण्डो के विकय हेतु कास्टिंग सक्षम अधिकारी से स्वीकृत प्राप्त कर ट्रांसपोर्ट नगर में अवशेष भूखण्डों का पंजीकरण 01.02.2009 से 20.03.2009 तक खोला गया। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।

		अन्तर्गत पात्र आवेदक न मिलने से रिक्त सम्पत्ति को सामान्य वर्ग से निविदा सह नीलामी के माध्यम से समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए आवंटन किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	
45.मद संख्या–11 :	हरिद्वार विकास प्राधिकरण विकास क्षेत्र में आश्रमों के भवन मानचित्रों की स्वीकृति हेतु अतिरिक्त मानकों के निर्धारण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि तब तक प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्राधिकरण द्वारा कार्यवाही की जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण शासन को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3324 दिनांक 27.11.2008 को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।

45.मद संख्या–12 :	गंगा नदी तट पर बसे नगरों के किनारे से 200 मीटर तक किसी भी प्रकार की गतिविधियॉ अनुमन्य न किये जाने के प्रतिबन्ध में शिथिल किये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया । प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	कार्यालय पत्र संख्या– 2993 दिनांक 12.11.08 के द्वारा शासन को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–13 :	जगतबीर पेपर इण्डिया लि0, ऋषिकेश से सम्बन्धित मानचित्र सं0–85/03–04 एवं 69/04–05 के सन्दर्भ में शमन पर विचार।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित करने का निर्णय लिया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में गंगा प्रदूषण नियंत्रण ईकाई से अनापत्ति प्राप्त की गयी है। प्रकरण शासन को कार्यालय के पत्र सं0 3321 दि0 27.11. 2008 को प्रेषित किया गया है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–14 :	श्रीडी0के0अग्रवाल,हरिद्वार–ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद सं0–89/04–05 के शमन की स्वीकृति विषयक।	प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण अस्वीकार करते हुए वापस किया किया गया तथा निर्देश दिये गये कि बोर्ड द्वारा विगत 44वीं बैठक में की गई टिप्पणियों पर क्रमवार आख्या तैयार करते हुए आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।	निर्णय के अनुपालन में संदर्भित प्रकरण एजेण्डा मद सं0–08 पर अलग से प्रस्तुत है । अतः प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

45.मद संख्या–15 :	निःशक्त जनों के बाधा रहित वातावरण के निर्माण के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अंगीकृत करते हुए अनुमोदित किया गया तथा यह भी निर्णय लिया गया कि प्रकरण शासन को भी सन्दर्भित किया जाय। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण शासन को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3323 दि0–27.11.2008 प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
45.मद संख्या–16 :	सौर जल तापक संयंत्र (Solar Water Heating System) लगाये जाने के सम्बन्ध में।	प्राधिकरण द्वारा बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्व सम्मति से अनुमोदित किया गया तथा प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में प्रकरण शासन को इस कार्यालय के पत्र संख्या 3322 दिनांक 27.11.2008 को प्रेषित किया जा चुका है। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।
	45.अन्य विषय अध्यक्ष महोदय की	**अनुमति से**	
	(क) श्रीमती बलवीर कौर पत्नी श्री गुरूबचन सिंह द्वारा ग्राम हरिपुरकलां के खसरा सं0–84(ख) व 85–86(क)	हरिद्वार–ऋषिकेश मुख्य मार्ग पर स्थित भूखण्ड क्षेत्रफल 5380.00 वर्ग मी0 पर होटल गॉड़विन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तुत प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।	निर्णय के अनुपालन में मानचित्र दिनांक 28.01.2009 को स्वीकृत किया गया। प्रकरण एजेन्डा मद से समाप्त है।

	(ख) पार्वती लोक ''अनाधिकृत कालोनी'' के सम्बन्ध में।	पार्वती लोक ''अनाधिकृत कालोनी'' के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा सर्व सम्मति से निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम भू–स्वामित्व की पुष्टि करते हुए परीक्षण किया जाय तत्पश्चात अगले बोर्ड बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जाये।	कार्यालय पत्र संख्या – 3083 दिनांक 15.11.2008 के द्वारा स्वामित्व की पुष्टि हेतु तहसील हरिद्वार को लिखा गया है। अभी तक पुष्टि प्राप्ति नहीं हो पाई है।

मद संख्या–46(01)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009–10 का प्रस्तावितआय–व्ययक।

वित्तीय वर्ष 2008–09 का वास्तविक आय–व्यय तथा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु प्राधिकरण का निम्नलिखित आय–व्ययक अनुमोदनार्थ प्रस्तुतु है।

(Rs. In lac)

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed	2008-2009 Actual 31.03.2009	2009-2010 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	प्रारम्भिक अवशेष	1461.05	307.90	281.19	13352.17	13352.17	2219.79	2219.79	2771.88
A	राजस्व आय								
1	स्टाम्प डियूटी	98.14	134.56	256.86	300.00	191.69	300.00	361.29	200.00
2	विनियोजन पर ब्याज प्राप्तियां	40.27	6.04	476.24	35.00	66.13	40.00	90.34	30.00
3	मानचित्र शुल्क	38.67	37.84	46.51	40.00	95.96	60.00	100.63	100.00
4	शमन शुल्क	68.36	99.60	93.17	110.00	59.90	110.00	162.14	2500.00
5	पर्यवेक्षण शुल्क	5.42	7.19	12.53	10.00	8.67	10.00	25.71	25.00
6	अनुदान प्राप्ति	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	विविध (टेण्डर फीस, आदि)	3.87	1.71	3.41	40.00	5.43	10.00	4.18	10.00
8	विकास शुल्क	96.05	100.05	152.42	120.00	218.69	225.00	301.08	400.00
9	भू–उपयोग परिवर्तन शुल्क	0.00	25.33	44.71	40.00	15.62	80.00	159.11	80.00
10	अम्बार शुल्क	6.46	6.17	8.62	8.00	12.86	18.00	17.71	20.00
11	फी–होल्ड शुल्क	3.36	10.41	16.66	18.00	2.86	18.00	3.69	20.00
12	हरिलोक योजना में अनुरक्षण शुल्क	1.58	2.27	3.08	4.00	1.96	4.00	5.59	10.00
13	हरितमा शुल्क	11.30	12.33	17.25	15.00	25.73	25.00	35.42	40.00
14	आवेदन पुस्तिका विकय	0.00	1.47	99.98	5.00	0.00	5.00	3.60	7.00
	Total (A)	373.48	444.97	1231.44	745.00	705.50	905.00	1270.49	3442.00
B	पूंजीगत आय								
1	ऋषिलोक आवासीय योजना	4.86	5.90	2.30	3.00	4.16	2.00	0.64	1.00
2	शिवलोक आवासीय योजना	9.81	29.19	4.12	7.00	9.23	2.00	5.59	3.00
3	हरिलोक आवासीय योजना	19.40	62.66	81.71	30.00	27.11	10.00	6.24	10.00

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

(Rs. In lac)

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed	2008-2009 Actual 31.03.2009	2009-2010 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	श्यामलोक आवासीय योजना	45.56	19.94	84.68	5.00	5.16	2.00	5.19	2.00
5	आश्रय योजना	4.66	3.88	4.19	4.00	4.42	5.00	5.29	5.00
6	गायत्री लोक	62.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना	0.00	42.40	106.82	1200.00	54.38	1100.00	139.86	1100.00
8	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग.1	0.00	0.00	12200.98	1800.00	939.61	400.00	742.84	800.00
9	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग.2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1500.00
10	बी.एच.ई.एल. सहकारी आवास योजना	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	1000.00
11	हुडको एवं अन्य सस्थाओं से ऋण प्राप्ति	275.00	0.00	0.00	3000.00	0.00	600.00	0.00	500.00
12	प्राधिकरण कर्मचारियों को भवन निर्माण/								
	वाहन ऋण की वसूली	1.77	0.80	1.12	2.00	1.13	1.50	0.79	0.75
13	डिपाजिट कार्य कुम्भ मेला आदि)	54.89	0.00	0.00	10.00	0.00	500.00	0.00	300.00
14	एस0एल0ओ0 से भू– अर्जन की धनराशि वापस	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
	Total (B)	478.36	164.77	12485.92	6061.00	1405.20	3622.50	906.44	5221.75
	Total INCOME (A+B)	851.84	609.74	13717.36	6806.00	2110.70	4527.50	2176.93	8663.75
	कुल आय प्रारम्भिक अवशेष को जोड़कर	2312.89	917.64	13998.55	20158.17	15462.87	6747.29	4396.72	11435.63
A									
	राजस्व व्यय								
1-	अधिष्ठान								
(i)	कर्मचारी वेतन भत्ते	57.00	52.19	62.11	85.00	65.19	100.00	94.10	150.00
(ii)	यात्रा भत्ता	0.50	0.68	0.57	1.00	0.47	1.00	0.51	1.00
(iii)	दैनिक वेतन	0.07	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	अवकाश नगदीकरण/ पेंशन अंशदान	0.00	1.96	1.12	5.00	0.55	5.00	0.00	6.00
(iv)	मानदेय	0.00	0.00	0.23	0.50	0.01	0.50	0.00	0.50
(vi)	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	0.00	0.00	0.01	1.00	0.00	2.00	0.07	5.00
	Total (A)	57.57	54.91	64.04	92.50	66.22	108.50	94.68	162.50
B									
	कार्यालय विविध व्यय								

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

79

(Rs. In lac)

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed	2008-2009 Actual 31.03.2009	2009-2010 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(i)	डाक व्यय	0.10	0.16	0.16	0.50	0.29	0.50	0.19	0.50
(ii)	स्टेशनरी	0.36	0.99	1.42	3.00	2.34	3.00	2.63	2.50
(iii)	कार्यालय भवन अनुरक्षण	3.29	2.21	3.26	40.00	1.05	20.00	12.50	20.00
(iv)	अध्यक्ष कार्यालय अनुरक्षण	0.78	1.80	2.84	5.00	0.97	3.00	1.08	3.00
(v)	टेलीफोन	1.63	1.20	1.33	3.50	1.06	3.00	1.43	3.00
(vi)	पुस्तकालय	0.02	0.04	0.02	0.50	0.03	0.50	0.00	0.25
(vii)	कानूनी व्यय	1.41	1.67	2.59	5.00	3.75	6.00	5.21	18.00
(viii)	अतिथि सत्कार	0.29	0.33	0.64	2.00	0.36	1.50	0.69	1.50
(ix)	छपाई	0.01	0.44	0.65	3.00	0.12	1.50	1.41	3.00
(x)	विज्ञापन	2.40	5.76	0.98	20.00	14.10	22.00	14.08	15.00
(xi)	सम्परीक्षा शुल्क	2.96	2.35	1.87	3.50	0.00	10.00	10.00	11.00
(xii)	विविध	1.12	1.00	0.89	2.50	1.47	3.00	2.06	4.00
(xiii)	कर्मचारी कल्याण	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00
(xiv)	विद्युत अनुरक्षण / आपूर्ति	0.26	0.14	2.22	10.00	1.81	7.00	2.12	6.00
(xv)	विवेकाधीन	0.05	0.40	0.35	5.00	0.30	3.00	0.39	2.00
(xvi)	अस्थाई अग्रिम	0.15	0.71	-0.90	1.00	0.54	1.00	1.61	1.00
(xvii)	कम्प्यूटर अनुरक्षण	0.29	0.32	0.45	2.00	0.33	2.00	0.62	3.00
(xviii)	अम्बार शुल्क हस्तानान्तरण	3.36	0.89	0.00	8.00	0.00	8.00	0.00	20.00
(xix)	हरिलोक योजना अनुरक्षण व्यय	0.00	1.10	0.48	4.00	2.57	7.00	6.91	18.00
(xx)	उत्तरांचल शासन आवास	0.00	0.47	0.49	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
(xxi)	एफ०बी०टी० व अन्य कर	0.00	0.71	0.91	5.00	18.54	88.00	83.31	75.00
(xxii)	मशीनरी अनुरक्षन	0.00	0.08	0.22	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00
(xxiii)	Total (B)	18.48	22.77	20.87	126.50	49.63	192.00	146.24	208.75
C									
	वाहन								
(i)	अनुरक्षण	1.49	1.47	1.80	3.00	2.62	4.00	3.93	5.00
(ii)	पेट्रोल	4.67	6.50	8.47	9.00	5.93	10.00	9.46	10.00
	Total (C)	6.16	7.97	10.27	12.00	8.55	14.00	13.39	15.00

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

(Rs. In lac)

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed	2008-2009 Actual 31.03.2009	2009-2010 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D									
	कर्मचारी अग्रिम								
(i)	वाहन	0.00	0.00	0.26	3.00	0.00	3.00	0.00	2.00
(ii)	भवन / भूखण्ड	0.00	1.00	0.00	6.00	0.00	5.00	0.00	6.00
	Total (D)	0.00	1.00	0.26	9.00	0.00	8.00	0.00	8.00
E									
1	मास्टर प्लान	0.00	0.00	3.66	8.00	3.59	8.00	0.58	30.00
2	सिटी मैनेजर एसो०	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00
	Total (E)	0.00	0.00	3.66	10.00	3.59	9.00	0.58	31.00
	Total Revenue exp..(A+B+C+D+E)	82.21	86.65	99.10	250.00	127.99	331.50	254.89	425.25
A	पूंजीगत व्यय								
1	कार जीप मशीनरी आदि क्रय	0.40	3.91	6.32	10.00	0.00	12.00	9.69	7.00
2	कम्प्यूटर क्रय	0.00	0.00	1.02	18.00	6.36	10.00	6.40	7.50
3	फर्नीचर फिक्चर्स क्रय	6.47	0.92	0.54	13.00	8.00	10.00	3.45	10.00
	Total (A)	6.87	4.83	7.88	41.00	14.36	32.00	19.54	24.50
B									
	योजना भूमि क्रय								
(i)	नई योजना	1544.60	99.27	360.00	3500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
	Total (B)	1544.60	99.27	360.00	3500.00	0.00	1500.00	0.00	1500.00
C									
	योजना विकास / निर्माण कार्य।								
(i)	शिवलोक आवासीय योजना	0.06	0.30	0.00	0.50	0.19	0.50	0.00	0.50
(ii)	श्यामलोक आवासीय योजना	8.00	2.40	2.25	2.00	0.00	2.00	1.16	1.00
(iii)	हरिलोक आवासीय योजना	0.00	0.00	0.88	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00
(iv)	ऋण वापसी	0.00	275.00	0.00	300.00	0.00	40.00	0.00	50.00
(v)	ऋणो पर देय ब्याज	0.00	1.46	0.00	100.00	0.00	20.00	0.00	15.00

मुख्य वित्त अधिकारी
हरिद्वार विकास प्राधिकरण

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

Sl.no.	Name of head	2004-2005 Actual	2005-2006 Actual	(Rs. In lac) 2006-2007 Actual	2007-2008 Propsed	2007-2008 Actual	2008-2009 Propsed	2008-2009 Actual 31.03.2009	2009-2010 Propsed
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(vi)	शोध ट्रेनिंग / परामर्श शुल्क	0.29	0.30	0.00	5.00	0.00	4.00	0.00	50.00
(vii)	अवस्था० विकास निधि से विकास कार्य	18.14	27.70	63.43	500.00	342.39	700.00	672.20	2000.00
(viii)	डिपाजिट कार्य(कुम्भ मेला आदि)	246.76	58.14	39.58	30.00	0.00	500.00	0.00	300.00
(ix)	हरितमा वृक्षारोपण	8.15	9.98	10.24	15.00	9.12	15.00	8.13	35.00
(x)	ट्रान्सपोर्ट नगर योजना	2.60	0.23	6.05	1100.00	353.68	500.00	262.11	400.00
(xi)	बी.एच.ई.एल. पुर्नवास योजना	85.63	68.33	7.40	40.00	0.00	50.00	0.54	20.00
(xii)	बी.एच.ई.एल. सहकारी आवास योजना	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
(xiii)	इन्द्रलोक आवासीय योजना	0.56	1.86	49.57	12500.00	12395.35	500.00	406.27	500.00
(xiv)	इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग_2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	2000.00
(xv)	हरिलोक भाग 2	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total (C)	371.31	445.70	179.40	14599.50	13100.73	2533.50	1350.41	6373.50
	Total CAPITAL exp..(A+B+C)	1922.78	549.80	547.28	18140.50	13115.09	4065.50	1369.95	7898.00
	Total Exp.	2004.99	636.45	646.38	18390.50	13243.08	4397.00	1624.84	8323.25
	Closing Balance	307.90	281.19	13352.17	1767.67	2219.79	2350.29	2771.88	3112.38

सचिव
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

उपाध्यक्ष
हरिद्वार विकास प्राधिकरण
हरिद्वार

हरिद्वार विकास प्राधिकरण की 46वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25—05—2009 का कार्यवृत्त।

प्राधिकरण की 46 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25—05—2009 को अध्यक्ष / आयुक्त गढ़वाल मण्डल की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास प्राधिकरण , हरिद्वार के सभागार में आयोजित की गयी:—

बैठक की उपस्थितिः—

1—	डा0 उमाकान्त पंवार, आयुक्त गढ़वाल मण्डल	अध्यक्ष
2—	श्री आनन्द बर्द्धन, उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण	उपाध्यक्ष
3—	श्री शैलेश बगौली, जिलाधिकारी, हरिद्वार	पदेन सदस्य
4—	श्री एम0सी0 जोशी, अपर सचिव, वित्त (सचिव वित्त के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
5—	श्री टीकम सिंह, संयुक्त सचिव, पेयजल (सचिव पेयजल के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य
6—	श्री बृज बी0 रतन, एस0टी0सी0पी0, उत्तराखण्ड, देहरादून	पदेन सदस्य
7—	श्री कमल जौरा, अध्यक्ष, न0पा0प0, हरिद्वार	पदेन सदस्य
8—	श्री ए0के0शर्मा, अधि0अभि0 सिंचाई, (सचिव, सिंचाई के प्रतिनिधि)	पदेन सदस्य

सर्वप्रथम हरिद्वार विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री आनन्द बर्द्धन द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तत्पश्चात अध्यक्ष / आयुक्त महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयीः—

प्राधिकरण की 45 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 25—10—2008 की कार्यवाही की पुष्टिः—

45वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई सुझाव / मार्गदर्शन नहीं प्राप्त हुए। बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन को बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया एवं बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गयी। प्रकरण एजेण्डा मद से समाप्त किया जाता है।

मद संख्या 46 (1)
हरिद्वार विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2009—10 का प्रस्तावित आय व्ययक।

वित्तीय वर्ष 2009—10 हेतु प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत आय व्ययक के सम्बन्ध में विस्तृत विचार—विमार्श के उपरान्त आय—व्ययक का सर्वसम्मति से बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया तथा निर्देश दिये गये कि कम से कम 6 माह में एक बार प्राधिकरण की वित्तीय प्रगति के सम्बन्ध में रिव्यू अवश्य किया जाय एवं इन्द्र लोक योजना भाग—2 में व्यय 20 करोड किया जाये। अतः इस संशोधन के साथ बजट स्वीकृत किया गया।

EXECUTIVE ENGINEER
IRRIGATION DIVISION
HARIDWAR

secretary

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद

जिलाधिकारी
हरिद्वार

vice chairman

(टीकमसिंह पंवार)
संयुक्त सचिव
पेयजल, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

chairman

STCP
TCP UK

मद संख्या–46(02)

प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006– 2025 पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावो के सम्बन्ध में ।

प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप– 2006–2025 पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावो के संबंध में शासन द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक 06.08.08, 21.08.08, 18.09.08, 06.10.08, 25.11.08 एवं 15,16, जनवरी 2009 की क्षेत्रवार आपत्ति व सुझावों की सुनवाई की गई, इसके उपरान्त दिनांक 25.03.09 को समिति द्वारा पुनः विस्तृत रूप से चर्चा कर आपत्तियों/सुझावों का अन्तिमीकरण किया गया है । मुख्य नगर एवं ग्राम्य नियोजन द्वारा इन आपत्तियों एवं सुझावों को अपने पत्र सं0–1041 दिनांक 07–05–09 के द्वारा बोर्ड में समिति की संस्तुतियों को विचार विमर्श करने हेतु भेजा गया है। अतः हरिद्वार महायोजना 2006–2025 पर प्राप्त आपत्तियां एवं सुझाव को प्राधिकरण की बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत है।

बोर्ड द्वारा यह भी निर्देष दिये गये विभिन्न स्कीमों Finacial Analysis की जाये तथा हर 6 माह में Performance Report प्रस्तुत की जाये।

मद संख्या–46(02)

प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना प्रारूप 2006– 2025 पर प्राप्त आपत्तियों / सुझावों के सम्बन्ध में ।

एस0टी0सी0पी0 द्वारा प्रस्तावित हरिद्वार महायोजना के सम्बन्ध में प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के पश्चात् समिति की सस्तुतियों के सम्बन्ध में सक्षेप में अवगत कराया गया। विचार विमर्श उपरान्त महोदय द्वारा एस0टी0सी0पी0 को यह निर्देश दिये गये कि 45 दिन के अन्दर इस सम्बन्ध में बोर्ड की एक विशेष बैठक करा कर आपत्तिवार प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष किया जाय।

मद संख्या–46(03)

ऋषिकेश महायोजना भाग–ब का प्रारूप (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग–ब (ऋषिकेश महायोजना) में विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि एस0टी0सी0पी0 उत्तराखड, देहरादून द्वारा भौतिक सर्वे करा लिया जाये।

मद संख्या–46(04)

हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों का होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक

विचार विमर्श के उपरान्त ऐसे भवनों का विस्तृत सर्वे कर (जिसमें विशेषज्ञों की भी राय ली जा सकती है एवं एस0टी0सी0पी0 से परामर्श लेते हुए) नीतिगत एवं औचित्यपूर्ण प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाय।

STCP TCP UK

EXECUTIVE ENGIEER IRRIGATION DIVISION HARIDWAR | seceretary | अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् हरिद्वार | जिलाधिकारी हरिद्वार | vice chairman | (टीकमसिंह पँवार) संयुक्त सचिव पेयजल, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन | chairman

(92)

मद संख्या–46(03)
ऋषिकेश महायोजना भाग–ब का प्रारूप (2011–2026) तैयार कराये जाने के सम्बन्ध में।

हरिद्वार विकास क्षेत्र की महायोजना भाग–ब (ऋषिकेश महायोजना) की अवधि वर्ष 2011 है । महायोजना की समाप्ति हेतु केवल 02 वर्ष शेष है। महायोजना का पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ करवाया जाना आवश्यक है, ताकि समय से महायोजना तैयार कराकर शासन की स्वीकृति उपरान्त अधिसूचित कराया जा सके । ऋषिकेश महायोजना अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र के सर्वेक्षण एवं महायोजना का प्रारूप तैयार कराये जाने हेतु गढ़वाल सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून अभिकरण घोषित कराये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

मद संख्या—46(04)

हरिद्वार विकास क्षेत्र के अन्तर्गत तीर्थ एवं पर्यटन स्थल होने के कारण आवासीय भवनों का होटल, लॉज, गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन करने विषयक ।

हरिद्वार विकास प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत बहादराबाद से लेकर मुनि—की—रेती तक का क्षेत्र आता है। जिसके अन्तर्गत कनखल, हरिद्वार , ऋषिकेश, मुनि—की—रेती तक का क्षेत्र सम्मिलित है। कनखल, हरिद्वार, ऋषिकेश, मुनि—की—रेती , स्वर्गाश्रम मुख्यतः तीर्थ/पर्यटन स्थल है। जिसमें प्रतिदिन लाखों की संख्या में तीर्थयात्री/पर्यटक आता है तथा उनके ठहरने के लिए यहाँ पूर्व से बने होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, आदि विद्यमान है। यहाँ प्रत्येक श्रेणी के तीर्थयात्री/पर्यटक आते है । तीर्थ /पर्यटन यात्रियों की संख्या दिन प्रति—दिन बढ़ने के कारण यहाँ होटल आदि की मांग बढ़ रही है जिसके कारण तीर्थ स्थलों के निकट आवासीय भवनों को अनाधिकृत रूप से होटल/लॉज/गेस्ट हाउस आदि में परिवर्तन किया जा रहा है । प्राधिकरण द्वारा इन्हे रोकने का काफी प्रयास किया जाता है परन्तु प्राधिकरण अपने प्रयासों में विफल रहता है , क्योंकि सराय एक्ट के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद, हरिद्वार द्वारा ऐसे भवनों को मान्यता देते हुए होटल आदि चलाने की अनुमति प्रदान कर दी जाती है तथा इनके द्वारा प्राधिकरण से किस प्रयोजन हेतु मानचित्र स्वीकृत हुआ है उसकी भी पुष्टि नहीं की जाती है।

प्राधिकरण के बाईलॉज के अनुसार होटल , लॉज, गेस्ट हाउस आदि का मानचित्र स्वीकृत कराने के नियम निर्धारित है जिसके अन्तर्गत महायोजना में निर्धारित भू—उपयोग , भूखण्ड क्षेत्रफल, पार्किंग, एफ.ए.आर. आदि के आधार पर अनुमति दी जाती है । आवासीय भवनों का होटल आदि में परिवर्तन करने पर मुख्यतः भूखण्ड का क्षेत्रफल , सैटबैक, पार्किंग आदि रूकावटें डालती है जिसके कारण निर्माणकर्ता चोरी छिपे अवैध रूप से परिवर्तन करते है । इस प्रकार के परिवर्तन करने में अवैध निर्माण में आन्तरिक कार्य कराया जाता है स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में प्राधिकरण के संज्ञान में यह नहीं आता है कि भवन में क्या गतिविधियां चल रही है , अचानक वह भवन होटल, गेस्ट हाउस के रूप में प्रयोग में लाया जाना प्रारम्भ कर दिया जाता है । इस प्रकार के भवनों की संख्या हरिद्वार विकास क्षेत्रान्तर्गत लगभग 200 होगी। जिन्हे रोका जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है । इसके अतिरिक्त पर्यटन/तीर्थ नगरी में आने वाले यात्रियों को दृष्टिगत रखते हुए इस प्रकार के भवनों की मांग बहुत है।

ऐसी स्थिति में बोर्ड के विचारोपरान्त इस विषय में कोई नीति बनाये जाने की नितान्त आवश्यकता है ताकि इस प्रकार के अवैध निर्माणों को रोका जा सके । साथ ही आने जाने वाले तीर्थ यात्रियों को सुविधा प्रदान की जा सके।

प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड बैठक के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(05)

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में:–

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 के तलपट मानचित्र में 22 छोटी–2 दुकाने एवं एक 550.00 वर्ग मीटर तथा एक लगभग 10000.00 वर्ग मीटर के व्यवसायिक भूखण्ड आरक्षित है। योजना के व्यवसायिक गतिविधियों की पूर्ति हेतु 22 दुकानो एवं 550.00 वर्ग मीटर के भूखण्ड पर्याप्त है। योजना के आस–पास सिडकुल क्षेत्र में व्यवसायिक स्थलो एवं माल का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र की व्यवसायिक गतिविधियों हेतु पर्याप्त है। सिडकुल की स्थापना से इस क्षेत्र में आवास की अत्यन्त समस्या है।

अतः प्रस्ताव है योजना के तलपट मानचित्र में आवश्यक संशोधन करते हुये व्यवसायिक उपयोग हेतु आरक्षित लगभग 10000.00 वर्ग मीटर भूमि पर एक, दो एवं तीन बेडरूम के बहुमंजिले ग्रुप हाउसिंग का निर्माण कार्य करा लिया जाय जिससे सिडकुल क्षेत्र के कर्मचारियों / उद्यमियों की आवास समस्या का निदान हो सकें।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(05)

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 के तलपट मानचित्र में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण के सम्बन्ध में:–

इस सम्बन्ध में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–1 में आरक्षित व्यवसायिक भूखण्ड के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग के निर्माण को स्वीकृत करते हुये यह निर्देश दिये गए कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाये कि पूर्व में तैयार की गई योजना से संभावित आय कम न हो।

मद संख्या–46(06)

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में

इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के सम्बन्ध में चयनित आर्किटेक्ट द्वारा योजना का प्रस्तीकरण किया गया। इस सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा संज्ञान लिया गया तथा अपेक्षा की गयी कि माह अक्टूबर 2009 तक इस योजना पर निर्माण को अवश्य प्रारम्भ कर दिया जाय।

मद संख्या–46(07)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी ।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत जिन भूखण्डों की बिकी नहीं हो पा रही है उस क्षैत्रफल को ग्रिड में परिवर्तित करते हुये मांग की आवश्यकतानुसार प्लाट काटकर निस्तारित किया जाये। ट्रांसपोर्टर को इस योजना में शिफ्ट करने का प्रयास किया जाय ताकि शीघ्र ट्रांसपोर्ट नगर को प्रारम्भ किया जा सकें।

for EXECUTIVE ENGIEER
IRRIGATION DIVISION
HARIDWAR

seceretary

vice chairman

(टीकमसिंह पँवार)
संयुक्त सचिव
पेयजल, महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

chairman

मद संख्या–46(06)
इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के प्रस्तुतिकरण के सम्बन्ध में

भेल की पुर्नवास योजना को विकसित करने पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु सिडकुल के नजदीक दो भागो में 45 एकड़ भूमि हरिद्वार विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुयी है। जिसके दूसरे भाग 10.50 एकड़ पर इन्द्रलोक आवासीय योजना भाग–2 के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। सर्व प्रथम योजना में 06 ग्रुप हाउसिंग भूखण्डो को नीलामी के माध्यम से विक्रय किये जाने का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड की 40 वीं, 42, एवं 43 वीं बैठक में प्रदान की गयी। परन्तु कतिपय कारणो से उक्त भूखण्डो का विक्रय नही किया जा सका।
आयुक्त / अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 05.12.07 के में योजना के निर्माण एवं विकास हेतु प्राधिकरण के पैनल से आर्किटेक्ट का चयन करते उनसे योजना का मेक्रो प्लानिंग एवं ले–आउट प्लान तैयार कराकर इसे हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित करने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पुष्टि प्राधिकरण की 44 वीं बोर्ड बैठक दिनांक 24.05.2008 में की गयी। चयनित आर्किटेक्ट से योजना का मेक्रो प्लानिंग कराकर उसका विस्तृत तलपट मानचित्र तैयार कराया गया है। तलपट मानचित्र के अनुसार योजना में एक बेडरूम, दो एवं तीन प्रमीयम बेडरूम, शापिंग सेन्टर, हैल्थ क्लब आदि के निर्माण के साथ–2 अन्य सभी आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को विकसित करने का कार्य प्रस्तावित है, जिसका प्रस्तुतिकरण बोर्ड के समक्ष चयनित आर्किटेक्ट द्वारा किया जा रहा है। योजना को दिनांक 15.06.2009 से प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।
अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(07)

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के तलपट मानचित्र के संशोधन सम्बन्धी ।

ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अन्तर्गत ट्रांसपोर्ट आफिस, स्पेयर पार्ट्स आदि, गोदाम, शोरूम, वर्कशाप के साथ–2 अन्य व्यवसायिक भूखण्ड पेट्रोल पम्प, गेस्ट हाउस, कामर्शियल भूखण्ड, होटल, नर्सिंग होम, धर्मशाला, ढाबा, वेईंग ब्रिज प्रस्तावित किये गये । योजना में भूखण्डों के आवंटन हेतु प्रथम चरण में पंजीकरण खोला गया । ट्रांसपोर्ट कार्यालय, विभिन्न श्रेणी की दुकानों हेतु प्रस्तावित भूखण्डों को छोड़कर किसी भी श्रेणी में प्रस्तावित भूखण्डों के सापेक्ष आवेदन प्राप्त नहीं हुए । द्वितीय चरण में पंजीकरण पुनः खोला गया । इस चरण में भी गोदाम , शोरूम, वर्कशाप, पेट्रोल पम्प, गेस्ट हाउस, कामर्शियल भूखण्ड, नर्सिंग होम, धर्मशाला, ढ़ाबा, वेईंग ब्रिज हेतु कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। इसका कारण इन भूखण्डों के क्षेत्रफल अधिक होने, शहरी क्षेत्र में इस श्रेणी के व्यवसायियों की कमी होना मुख्यतः है। इसी प्रकार योजना में आर0टी0ओ0 आफिस, टेलीफोन एक्सचेन्ज, पुलिस स्टेशन, फायर स्टेशन का प्राविधान किया गया है। बोर्ड के संज्ञान में लाना है कि आर.टी.ओ. आफिस जिला मुख्यालय में शिफ्ट किया जा चुका है , टेलीफोन एक्सचेन्ज 1 कि0मी0 की दूरी पर स्थापित है तथा वर्तमान में तकनीकी विकास में उत्तरोत्तर बृद्धि होने के फलस्वरूप वायरलेस टेलीफोन अधिकतर उपयोग में लाये जा रहे है, पुलिस स्टेशन 1.00 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है । अतः इन परिस्थितियों उक्त विभागों से भूमि की आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी करके उसी के अनुरूप भूखण्ड़ क्षेत्रफल प्रस्तावित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रस्ताव है कि योजना के अन्तर्गत पुनः सर्वे उपरान्त डिमाण्ड़ के आधार पर योजना को संशोधित कर लिया जाए। प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—46(08)

श्री डी0के0 अग्रवाल , हरिद्वार—ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद

श्री डी0के0अग्रवाल , श्यामपुर, हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग, जिला देहरादून के शमन प्रार्थना पत्र 03.03.05 के सम्बन्ध में प्राधिकरण स्तर से जांच करायी गयी । भू—उपयोग (पी—5) कृषि हरित पट्टी होने के कारण शासनादेश अनुसार भूमि परिवर्तन शुल्क भूमि मूल्य का 75 प्रतिशत जमा कराने की विपक्षी द्वारा सहमति प्रदान की गयी। शासनादेशानुसार भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0—9,52,427/— की प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16.09.05 में स्वीकृति प्रदान की गयी। शासनादश संख्याः 4752 दिनांक 01.11.2004 की गाईड लाईन के अनुसार मानचित्र की जांच नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग से करायी गयी । नगर नियोजन की रिपोर्ट संख्या 398 दिनांक 22.02.08 के अनुसार मार्गाधिकार से प्रभावित निर्माण आवेदक से हटाने एवं पुष्टि उपरान्त शमन की कार्यवाही की जा सकती है। तद्नुसार विपक्षी को सूचित करते हुए मार्गाधिकार से प्रभावित निर्माण को ध्वस्त करने हेतु दिनांक 05.03.08 को सूचित किया गया । विपक्षी द्वारा मानचित्र में पीले रंग से प्रदर्शित ध्वस्तीकरण भाग को मानचित्र स्वीकृत होते ही अपने हर्जे—खर्चे पर ध्वस्त करने हेतु शपथ पत्र दिनांक 13.03.08 प्रस्तुत किया गया ।
शासनादशानुसार भू—उपयोग परिवर्तन सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु प्राधिकरण की 44वीं बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया गया । बोर्ड द्वारा टिप्पणी की गयी कि आवेदक द्वारा इस स्थल का मानचित्र स्वीकृत हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया ? बिना स्वीकृति के अनाधिकृत निर्माण क्यों किया गया । क्या स्थल का मानचित्र भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है।
बोर्ड के निर्णय के कम में अवगत कराना है कि मानचित्र स्वीकृत न कराने के फलस्वरूप तथा कार्य प्रगति पर पाये जाने पर प्राधिकरण द्वारा अधिनियम के अन्तर्गत धारा—27/28 की कार्यवाही की गयी। विपक्षी द्वारा अवगत कराया गया है कि जिलाधिकारी से पेट्रोल पम्प लगाने की अनुमति प्राप्त की गयी है। ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण हमें मालूम नहीं था कि इस निर्माण को हरिद्वार विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराना पड़ता है। विपक्षी द्वारा इसी कम में प्राधिकरण को शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया । शासनादेश के कम में भू—उपयोग परिवर्तन शुल्क रू0—9,52,427/— जमा कराया जा चुका है। मानचित्र भवन उपविधि के अनुसार स्वीकृत किया जा सकता है।
शासनादेश सं0—4752 दिनांक 01.11.04 के अनुसार फीलिंग स्टेशन/फीलिंग कम सर्विस स्टेशन हेतु मार्ग निर्देशन अनुसार प्राधिकरण बोर्ड द्वारा स्वीकृति हेतु अनुमोदन किया जाना है।
अतः प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या—46(08)

श्री डी0के0 अग्रवाल , हरिद्वार—ऋषिकेश मार्ग, श्यामपुर के पेट्रोल पम्प के निर्माण के सम्बन्ध में वाद।

श्री डी0के0अग्रवाल , श्यामपुर, हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग, जिला देहरादून के शमन प्रार्थना पत्र 03.03.05 के सम्बन्ध में प्राधिकरण विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम पक्ष द्वारा जो सड़क पर अतिक्रमण किया गया है उसे तोडने के पश्चात एक माह के अन्दर स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

मद संख्या—46(09)

ग्राम अहमदपुर कडच्छ, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार—रूड़की मुख्य मार्ग पर सैनी आश्रम के सामने होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक ।

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस विषय पर विस्तृत एवं औचित्यपूर्ण विवरण तकनीकि दृष्टिकोण एवं उपविधि के आधार पर तैयार कर परिचालन विधि से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाय।

मद संख्या—46(10)

निदेशक, मैसर्स सीरिन टूरिज्म वैंचर्स, ग्राम घुघत्यानी तल्ली जिला टिहरी गढवाल के भू—उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।

इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अन्तर्गत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।

STCP, TCP UK

EXECUTIVE ENGIEER
IRRIGATION DIVISION
HARIDWAR

seceretary

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

vice chairman

(टीकमसिंह पँवार)
संयुक्त सचिव
पेयजल, महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

chairman

मद संख्या–46(09)

ग्राम अहमदपुर कडच्छ, परगना ज्वालापुर, हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार–रूड़की मुख्य मार्ग पर सैनी आश्रम के सामने होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक ।

सैनी आश्रम के सामने, ज्वालापुर में लगभग 1800 व0मी0 विपक्षी श्री दुष्यन्त कुमार गौतम द्वारा अनाधिकृत निर्माण किये जाने के विरूद्ध प्राधिकरण में वाद योजित किया गया। निर्माण कार्य बेसमेन्ट स्तर पर है। उक्त वाद के कम में विपक्षी शमन दिनांक 14.05.09 में आवेदन किया गया । उक्त स्थल का भू–उपयोग हरिद्वार महायोजना मानचित्र भाग–अ (2001) के अनुसार आवासीय उच्च धनत्व (आर–1) व 30 मीटर महायोजना मार्ग पर स्थित है। विपक्षी द्वारा होटल का निर्माण हेतु शमन प्रार्थना पत्र दिया गया है। उक्त भू–उपयोग में होटल का निर्माण अनुमन्य नहीं है। हरिद्वार महायोजना भाग–अ (1985–2001) के विन्दु संख्या–13 में ''जोनिंग रेगुलेशन'' के अनुसार आवासीय क्षेत्र में विकास प्राधिकरण सभा द्वारा विशेष परिस्थितियों में अनुमोदित भू–उपयोग में होटल एवं रेस्ट्रा/होटल का निर्माण का निर्माण अनुमन्य किया जा सकता है। प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग प्रस्तावित महायोजना के प्रारूप (2025) के अनुसार व्यवसायिक प्रदर्शित है। भवन उपविधि के अनुसार होटल हेतु न्यूनतम आवश्यक क्षेत्रफल 1500 व0मी0 से अधिक है।जिस पर होटल का निर्माण बोर्ड के अनुमोदन उपरान्त नियमानुसार स्वीकृत किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(10)

निदेशक, मैसर्स सीरिन टूरिज्म वैंचर्स, ग्राम घुघत्यानी तल्ली जिला टिहरी गढवाल के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।

श्री किशोर सी0 दोषी, ग्राम घुघत्यानी तल्ली, जिला–टिहरी गढवाल के द्वारा ऋषिकेश महायोजना (2011) के निर्धारित कृषि भू–उपयोग से पर्यटन भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु दिनांक 19.03.09 में आवेदन किया गया । प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी। खसरा सं0–123 से 129, 134 से 138, 151, 152 व 155 से 156, 158, 160 से 162, 166, 167, 167 से 177, 179 से 184, 185मि0, 186 से 188, 190 से 197 एवं 199 का कुल रकबा 0.727 अर्थात 7270 व0मी0 प्रस्तावित किया गया । शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि भू–उपयोग से पर्यटन भू–उपयोग अनुमन्य है । प्रस्तावित खसरा के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन से अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है। अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(11)

श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।

श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के द्वारा हरिद्वार महायोजना (2001) के निर्धारित कृषि हरित पट्टी (पी–5) से आवासीय में परिवर्तन हेतु दिनांक 28.02.09 में आवेदन किया गया । प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी। खसरा सं0–1511, 1519, 1527, 1550 का कुल रकबा 3.956 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया । हरिद्वार महायोजना के प्रारूप (2025) में उक्त खसरा का भू–उपयोग आवासीय निम्न धनता (आर–2) प्रदर्शित है। शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि भू–उपयोग से व्यवसायिक भू–उपयोग अनुमन्य है । प्रस्तावित खसरा के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन से अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(11)

श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर महदूद जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।

इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।

मद संख्या–46(12)

श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।

इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।

मद संख्या–46(13)

श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।

इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।

मद संख्या–46(14)

निदेशक, मैसर्स सिद्धान्त प्रमोटर्स, ग्राम अन्नेकी हेतमपुर, परगना ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।

इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।

EXECUTIVE ENGIEER
IRRIGATION DIVISION
HARIDWAR

secretary

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद्
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

vice chairman

(टीकमसिंह पंवार)
संयुक्त सचिव
पेयजल, महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

chairman

मद संख्या–46(12)

श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन ।

श्री मनमोहन सिह रावत पुत्र श्री अमर सिंह रावत मैसर्स हिमालयन मिनरल वाटर्स प्रा0लि0 ग्राम सलेमपुर जिला–हरिद्वार के द्वारा हरिद्वार महायोजना (2001) के निर्धारित कृषि हरित पट्टी (पी–5) से आवासीय उच्च धनत्व (आर–1) में परिवर्तन हेतु दिनांक 28.02.09 में आवेदन किया गया । प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी। खसरा सं0–1535, 1537, 1551, 1552 का कुल रकबा 2.793 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया । हरिद्वार महायोजना के प्रारूप (2025) में उक्त खसरा का भू–उपयोग आवासीय निम्न धनता (आर–2) प्रदर्शित है। शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि भू–उपयोग से आवासीय भू–उपयोग अनुमन्य है । प्रस्तावित खसरा के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन से अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(13)

श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन विषयक आवेदन।

श्री राजीव जैन पुत्र श्री सुमेर चन्द जैन, निदेशक, बिंदल टैक्स फैब प्रा0लि0, ग्राम एतमलपुर बोंगला, जिला– हरिद्वार के द्वारा हरिद्वार महायोजना (2001) के निर्धारित कृषि हरित पट्टी (पी–5) से पर्यटन में परिवर्तन हेतु दिनांक 28.02.09 में आवेदन किया गया । प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी। खसरा सं0–883, 851 का कुल रकबा 1.789 हैक्टेयर प्रस्तावित किया गया । हरिद्वार महायोजना के प्रारूप (2025) के अनुसार मुख्य मार्ग पर व्यवसायिक एवं पीछे के भाग का भू–उपयोग कृषि हरित पट्टी (पी–5) प्रदर्शित है। शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि भू–उपयोग से पर्यटन में अनुमन्य है । प्रस्तावित खसरा के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि का भू–उपयोग परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन से अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।

अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(14)
निदेशक, मैसर्स सिद्धान्त प्रमोटर्स, ग्राम अन्नेकी हेतमपुर, परगना ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के आवेदन विषयक ।

श्री अजय कुमार , निदशक, मैसर्स सिद्धान्त प्रमोटर्स, ग्राम अन्नेकी हेतमपुर, परगना ज्वालापुर, जिला–हरिद्वार के द्वारा हरिद्वार महायोजना (2001) के निर्धारित कृषि हरित पट्टी (पी–5) से आवासीय भू–उपयोग में परिवर्तन हेतु दिनांक 22.04.09 में आवेदन किया गया । प्राधिकरण द्वारा जांच करायी गयी। खसरा सं0–1375 का कुल रकबा 1.6970 प्रस्तावित किया गया । हरिद्वार महायोजना हेतु प्रस्तावित प्रारूप (2025) में उक्त खसरा दूर संचार के अन्तर्गत प्रदर्शित है। शासनादेश संख्या 1205 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि भू–उपयोग से पर्यटन भू–उपयोग अनुमन्य है । प्रस्तावित खसरा के अन्तर्गत उल्लिखित भूमि का भू–उपयोग कृषि से आवासीय भू–परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन से अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।
अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(15)
बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, श्यामपुर, हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में ।

मैसर्स बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, श्यामपुर हरिद्वार द्वारा अनाधिक निर्माण किये जाने पर धारा 27,28 का वाद योजित किया गया विपक्षी द्वारा शमन प्रार्थना के साथ–साथ कृषि से औद्योगिक भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया। 73399.3125 वर्ग फिट पर औधोगिक/फैक्ट्री के निर्माण का शमन/मानचित्र स्वीकृति हेतु दिनांक 10.07.06 में आवेदन किया गया । उक्त स्थल का भू–उपयोग ऋषिकेश महायोजना (2011) में कृषि हरित पट्टी (पी–5) प्रस्तावित है। विपक्षी द्वारा दिनांक 23.08.06 में भू–उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया । शासनादेश संख्या 1205/ट/आ0–2005–11(एल.यू.सी.)/2005 दिनांक 12.04.05 के अनुसार कृषि हरित पट्टी (पी–5) से औधोगिक भू–उपयोग अनुमन्य किया गया है। प्रस्तावित खसरा सं0 210 का क्षेत्रफल 1.3850 हैक्टेयर है। शासनादेशानुसार कृषि हरित पट्टी से औधोगिक भू–उपयोग में परिवर्तन प्राधिकरण बोर्ड की स्वीकृति उपरान्त शासन से अनुमोदन पर विचार किया जा सकता है।
अतः प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(15)
बाविएरा फार्मास्यूटिकल्स प्रा0लि0, श्यामपुर, हरिद्वार के भू–उपयोग परिवर्तन के सम्बन्ध में।

इस विषय पर बैठक में विस्तृत विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण को प्रस्तावित महायोजना के अर्न्तगत स्थिति को दर्शित करते हुये पूर्ण औचित्य सहित सुस्पष्ट प्रस्ताव सहित आगामी बोर्ड बैठक मे विचारार्थ रखा जाये।

मद संख्या–46(16)
कु0 ऋतु पाठक पुत्री श्री यशपाल पाठक शिवलोक योजना भाग–2 में भवन संख्या–एच–10ए में किशत गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।

बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

मद संख्या–46(17)
श्रीमती जानकी पाण्डेय पत्नी श्री भोलादत्त पाण्डेय शिवलोक भाग–2 में भवन संख्या–एच–9ए में किशत गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।

बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

मद संख्या–46(18)
श्री मति पुनीता सहगल शिवलोक आवासीय योजना भाग–2 में भवन संख्या : एम–3बी0 प्रथम तल में किशत गणना त्रुटि के सम्बन्ध में ।

बैठक में इस विषय पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

EXECUTIVE ENGIEER
IRRIGATION DIVISION
HARIDWAR

secretary

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
हरिद्वार

जिलाधिकारी
हरिद्वार

vice chairman

(टीकमसिंह पँवार)
संयुक्त सचिव
पेयजल, महिला सशक्तिकरण
एवं बाल विकास विभाग
उत्तराखण्ड शासन

chairman

मद संख्या–46(16)

कु0 ऋतु पाठक पुत्री श्री यशपाल पाठक शिवलोक योजना भाग–2 में भवन संख्या–एच–10ए में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।

कु0 ऋतु पाठक को प्राधिकरण द्वारा विकसित शिवलोक आवासीय योजना भाग –2 में भवन संख्या–एच–10ए वर्ष 1992 में 16 तिमाही किश्तों पर भवन आवंटित किया गया था। किश्तों की गणना में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण प्रति किश्त रू0–17087/– सूचित कर अनुबन्ध किया गया है।उक्त त्रुटि संज्ञान में आने के पश्चात संशोधित प्रति किश्त राशि रू0 20,758/– देय थी। इस प्रकार गणना अन्तर की धनराशि रू0 3671/– प्रति किश्त से 16 तिमाही किश्तों की अन्तर राशि रू0 58,736/– जमा कराये जाने हेतु आवंटी को सूचित किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध आवंटी ने मा0 सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के समक्ष मूल वाद संख्या– 24/95 योजित की गयी। उक्त वाद में निर्णय के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा पारित करते हुए वादीनी से उक्त राशि निषेध की गयी। मा0 सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ के समक्ष प्रथम अपील योजित की गयी परन्तु अपील में भी अपील को अस्वीकार करते हुए मा0 न्यायालय ने अपर न्यायालय के आदेश दिनॉक 6–10–2001 की पुष्टि की गयी। अपील में पारित निर्णय 31–8–2007 के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष द्वितीय अपील संख्या–30/2008 दायर की गयी परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अपने आदेश दिनॉक 7–5–2008 के द्वारा निरस्त कर दी गयी ।

प्रश्नगत अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 7–5–2008 के द्वारा गणना अन्तर की धनराशि रू0–58,736/– न वसूले जाने के आदेश पारित हुए है तथा दोनों पक्षों के मध्य हुए अनुबन्ध दिनॉक 19–4–94 के अनुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का अनुपालन करने एंव आवंटी के पक्ष में हुए अनुबन्ध के अनुसार लीजडीड सम्पादित किए जाने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(17)
श्रीमती जानकी पाण्डेय पत्नी श्री भोलादत्त पाण्डेय शिवलोक भाग–2 में भवन संख्या–एच–9ए में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध मे।

श्रीमती जानकी पाण्डेय को प्राधिकरण द्वारा विकसित शिवलोक आवासीय योजना भाग –2 में भवन संख्या–एच–9ए वर्ष 1992 में 16 तिमाही किश्तों पर भवन आवंटित किया गया था। किश्तों की गणना में लिपिकीय त्रुटि होने के कारण प्रति किश्त रू0 17087/– सूचित कर अनुबन्ध किया गया है। उक्त त्रुटि संज्ञान में आने के पश्चात संशोधित प्रति किश्त राशि रू0 20,758/– देय थी। इस प्रकार गणना अन्तर की धनराशि रू0 3671/– प्रति किश्त से 16 तिमाही किश्तों की अन्तर राशि रू0 58,736/– जमा कराये जाने हेतु आवंटी को सूचित किया गया है।

उक्त आदेश के विरूद्ध आवंटी ने मा0 सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के समक्ष मूल वाद संख्या– 25/95 योजित की गयी। उक्त वाद में निर्णय के द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा पारित करते हुए वादीनी से उक्त राशि निषेध की गयी। मा0 सिविल जज एस0डी0 हरिद्वार के उक्त आदेश के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा अपर जिला न्यायाधीश चतुर्थ के समक्ष प्रथम अपील योजित की गयी परन्तु अपील में भी अपील को अस्वीकार करते हुए मा0 न्यायालय ने अपर न्यायालय के आदेश दिनॉक 23–3–2001 की पुष्टि की गयी। अपील में पारित निर्णय 31–8–2007 के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के समक्ष द्वितीय अपील संख्या–31/2008 दायर की गयी परन्तु मा0 उच्च न्यायालय द्वारा उक्त अपील को अपने आदेश दिनॉक 7–5–2008 के द्वारा निरस्त कर दी गयी ।

प्रश्नगत अपील में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनॉक 7–5–2008 के द्वारा गणना अन्तर की धनराशि रू0 58,736/– न वसूले जाने के आदेश पारित हुए है तथा दोनों पक्षों के मध्य हुए अनुबन्ध दिनॉक 19–4–94 के अनुसार कार्यवाही किए जाने के निर्देष दिए गये है।

अतः मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेश का अनुपालन करने एंव आवंटी के पक्ष में हुए अनुबन्ध के अनुसार लीजडीड सम्पादित किए जाने हेतु प्रकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(18)
श्री मति पुनीता सहगल शिवलोक आवासीय योजना भाग–2 में भवन संख्या : एम–3बी0 प्रथम तल में किश्त गणना त्रुटि के सम्बन्ध में ।

प्राधिकरण द्वारा विकसित शिवलोक आवासीय योजना भाग–2 में भवन संख्याः–एम–3बी0 (प्रथम तल) श्री मती पुनीता सहगल के नाम 16 तिमाही किश्तों पर आवंटित किया गया था।
आवंटन पत्र में तिमाही किश्त धनराशि रू0 9986/– सूचित कर भवन का अनुबन्ध / कब्जा दि0 22–2–1994 को किया गया।

किश्त में गणना की त्रुटि संज्ञान में आने पर संशोधित किश्त धनराशि रू0 12,131/– की दर से कुल धनराशि रू0–34,320/– जमा किये जाने हेतु आवंटी को सूचित किया गया।
आवंटी द्वारा इसके विरूद्ध मा0 अध्यक्ष उपभोक्ता संरक्षण फोरम हरिद्वार में शिकायत सं0ः–205/2003 योजित की गयी एवं मा0 अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम हरिद्वार के निर्णय दि0–8–01–2004 द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि शिकायतकर्ता से कोई धनराशि की वसूली न की जाय तथा आवंटी के पक्ष में लीजडीड की कार्यवाही सम्पन्न की जाये ।

उक्त आदेश के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा मा0 राज्य उपभोक्ता फोरम देहरादून के समक्ष अपील सं0–206/2004 योजित की गयी । अपील में मा.0 राज्य फोरम के आदेश दि0–17–01–2005 द्वारा यह आदेश पारित करते हुय जिला उप्भोक्ता फोरम हरिद्वार के आदेश को समाप्त करते हुये शिकायत को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड जिला फोरम को किया गया जबकि शिकायत हरिद्वार प्राधिकरण के नाम से योजित की जानी चाहिए थी ।
प्राधिकरण द्वारा उक्त निर्देशों के सापेक्ष गणना अन्तर की धनराशि जमा करने हेतु आवंटी ने अपने पत्र दि0: 23–03–2009 द्वारा यह निवेदन किया है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रकार की ब्याज की गणना त्रुटि को नहीं माना गया है और अन्य मामलों में प्राधिकरण द्वारा मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में गणना अन्तर की राशि को माफ करते हुए आवंटी के पक्ष में लीजडीड सम्पन्न करायी जा चुकी है
आवंटी द्वारा अनुरोध किया गया कि मेरे प्रकरण में भी प्राधिकरण स्तर से निर्णय लिये जाने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाये ।

उपरोक्त प्रकरण में यह अवगत कराना है कि इसी प्रकार के एक प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा गणना अन्तर की धनराशि को माफ करते हुए आवंटी के पक्ष में लीजडीड किए जाने का आदेश पारित किया गया था।

उक्त आदेश का अनुपालन किए जाने हेतु प्राधिकरण की 45 वी बोर्ड बैठक में प्रकरण प्रस्तुत किया गया था जिसमे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन करते हुए धनराशि माफ की गई और भवन की लीजडीड आवंटी के पक्ष में सम्पन्न करायी जा चुकी है।

अतः प्रस्ताव है कि प्रश्नगत प्रकरण में भी गणना अन्तर की धनराशि को आवंटी के पक्ष में माफ करते हुये पंजीकृत अनुबन्ध के अनुसार भवन की लीजडीड की कार्यवाही पूर्ण कर ली जाये । प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(19)

कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि में मूल वेतन,डी0पी0वेतन एंव देय महंगाई के योग पर 10 प्रतिशत अंशदान योजना लागू करने के सम्बन्ध मे।

उत्तराखण्ड शासन, (वित्त सामान्य नियम वेतन आयोग) अनुभाग–7की अधिसूचना संख्या–21 / गगअ11(7)/2005 दिनॉक 25 अक्टूवर 2008 द्वारा शासन के नियन्त्रणाधीन स्वायत्तशासी संस्थाओं में राज्य कर्मचारियों की भॉति वर्तमान पेंशन योजना की भॉति पेंशन योजना लागू की है पेंशन योजना के स्थान पर नव परिभाषित अंशादान पेंशन योजना लागू की गयी है।नई भर्तियों पर 01 अक्टूवर 2005 से अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। जिसमें वेतन, डी0पी0 वेतन और महंगाई भत्ते के योग पर 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान कर्मचारी के वेतन से किया जायेगा तथा इतनी ही धनराशि कर्मचारी का अंशदान विभाग द्वारा किया जायेगा। इस प्रकार कुल 20 प्रतिशत सामान्य अंशदायी भविष्य निधि के रूप में सी0पी0एफ0 खाते में प्रतिमाह जमा करायी जायेगी।
प्राधिकरण में सामान्य भविष्य निधि के अन्तर्गत जी0पी0एफ0 के स्थान पर सी0पी0एफ0 व्यवस्था लागू है जिसमें मूल वेतन एंव डी0पी0 वेतन के योग का 6.25 प्रतिशत कर्मचारी के वेतन से काटा जाता है और इतनी ही धनराशि प्राधिकरण द्वारा वेतन के साथ अंशदान के रूप में दी जाती है । इस प्रकार कुल 12.50 प्रतिशत कर्मचारी के सी0पी0एफ0 खाते में प्रतिमाह जमा किया जाता है। प्राधिकरण कर्मचारियों का आरोप है कि प्राधिकरण में इस प्रक्रिया से आर्थिक हानि हो रही है।
अतः प्रस्ताव है कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण में मूल वेतन,डी0डी0 एंव देय महंगाई के योग पर 10 प्रतिशत अंशदान एंव इतनी ही राशि कर्मचारी के वेतन से कटौती किया जाना उक्त अधिसूचना के अनुरूप एंव कर्मचारियों के हित में है।
नैनीताल विकास प्राधिकरण द्वारा भी इसी आशय से बोर्ड बैठक में प्रस्ताव अनुमोदन पश्चात शासन को सन्दर्भित किया गया है।अतः उचित होगा कि हरिद्वार विकास प्राधिकरण हरिद्वार द्वारा भी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष इस आशय के साथ प्रस्तुत है कि बोर्ड के अनुमोदन पश्चात प्रकरण शासन को सन्दर्भित कर दिये जाने हेतु प्रस्ताव विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(19)

कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि में मूल वेतन, डी0पी0 वेतन एंव देय महंगाई के योग पर 10 प्रतिशत अंशदान योजना लागू करने के सम्बन्ध मे।

इस प्रकरण को शासन को सन्दर्भित करने हेतु बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया ।

मद संख्या–46(20)

प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त लेखपाल के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में अनुबन्ध पर कार्यरत लेखपाल के पारिश्रमिक को रू0 3000 से बढ़ाकर रू0 4500 किये जाने का बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया।

मद संख्या–46(21)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अंतर्गत हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट होस्टल का निर्माण कार्य कराने हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषयक ।

बोर्ड द्वारा निर्देशित की O & M पर विचार कर इसके लिये एक कार्य योजना तैयार की जाय। हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट होस्टल की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुये बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गई।

EXECUTIVE ENGIEER IRRIGATION DIVISION HARIDWAR

secreretry | अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हरिद्वार | जिलाधिकारी हरिद्वार | vice chairman | (टीकमसिंह पँवार) संयुक्त सचिव आवास, शहरी विकास एवं बाल विकास विभाग उत्तराखण्ड शासन | chairman

मद संख्या–46(20)
प्राधिकरण में अनुबन्ध के आधार पर तैनात सेवानिवृत्त लेखपाल के पारिश्रमिक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

प्राधिकरण में भू–अर्जन से सम्बन्धित प्रकरणों के लिए प्राधिकरण हित में एक लेखपाल के पद पर नियमित नियुक्ति आवश्यक है। प्राधिकरण में लेखपाल का पद सृजित नहीं है। प्राधिकरण की 19 वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 29–9–1994 के मद संख्या–12(8)में सेवानिवृत्त लेखपाल को रू0 1500/– मासिक पारिश्रमिक अनुबन्ध पर रखे जाने की स्वीकृति दी गयी थी।

प्राधिकरण की 42(11) वीं बोर्ड बैठक दिनॉक 28–12–2006 में रू0 1500/– मासिक पारिश्रमिक से बढ़ाकर रू0 3000/– किया गया था। लेखपाल द्वारा अपने पारिश्रमिक बढाये जाने हेतु पुनः आवेदन किया है तथा वर्तमान में मिल रही पेंशन के अभिलेख की छाया प्रति उपलब्ध करायी है जिसमें पेंशन रू0 4606/– मासिक है। अतः उक्त अभिलेख के आधार पर रू0 3000/– (तीन हजार) से बढाकार रू0 4500/– (चार हजार पांच सौ) मात्र मासिक पारिश्रमिक किए जाने का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एंव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

मद संख्या–46(21)

हरिद्वार विकास प्राधिकरण बोर्ड फण्ड के अंतर्गत हरिद्वार एवं मुनि की रेती में ट्रांजिट होस्टल का निर्माण कार्य कराने हेतु औपचारिक स्वीकृति प्रदान करने हेतु विषयक ।

हरिद्वार एवं ऋषिकेश में प्रत्येक छः वर्ष में कुम्भ /अर्द्धकुम्भ मेलों का आयोजन होता है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष कॉवड़ मेला एवं समय–समय पर अन्य स्नान पर्व/मेलों का आयोजन भी होता रहता है । सामान्य प्रशासन एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने हेतु अन्य जिलों /प्रदेशों से अधिकारी आते है जिन्हें यहॉ रहने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है । इस समस्या के स्थायी समाधान हेतु हरिद्वार एवं ऋषिकेश /मुनि की रेती क्षेत्र में ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है । इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहित 02 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का भुगतान किया जाता है । प्रमुख सचिव,वित्त,उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रेषित शासनादेश संख्या–30 दिनांक 18 अगस्त, 2005 द्वारा उक्त मद में प्राप्त धनराशि प्राधिकरण बोर्ड द्वारा निर्धारित मद पर व्यय किये जाने के निर्देश है । प्राधिकरण बोर्ड फण्ड में वर्ष 2008–09 तक रूपये– 809.81 की धनराशि उपलब्ध है । अतः उक्त दोनों ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य प्राधिकरण बोर्ड फण्ड से कराने हेतु बोर्ड बैठक की प्रत्याशा में अध्यक्ष / आयुक्त महोदय से निम्नवत स्वीकृति प्राप्ति की गयी :–

कम सं0	ट्रांजिट हॉस्टल के निर्माण का स्थल	निर्माण लागत (रू0 लाख में)	अध्यक्ष/आयुक्त महोदय से प्राप्त स्वीकृति
01	हरिद्वार विकास प्राधिकरण कार्यालय भवन के पीछे एवं अध्यक्ष,नगर पालिका परिषद, हरिद्वार के कैम्प कार्यालय के बगल में रिक्त भूमि	125.00	05–12–2008
02	मुनि की रेती में जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल द्वारा गंगा नदी के किनारे उपलब्ध करायी गयी भूमि	75.00	05–12–2008

कृपया उपरोक्त दोनों ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण कार्य उपरोक्तानुसार प्राधिकरण बोर्ड फण्ड निधि से कराये जाने हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त किये जाने के लिये प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है ।

मद सं0–46(22)
अन्य मद अध्यक्ष की अनुमति से
(1) हरिद्वार ज्वालापुर रोड़ पर आर्यनगर चौक के समीप श्री मति नीता रानी व श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक

श्रीमति नीता रानी व श्री नीरज कुमार के प्रार्थना पत्र पर आयुक्त/अध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 20.05.2009 के क्रम में अवगत कराना है कि इनके द्वारा ज्वालापुर रोड पर आर्यनगर चौक के समीप स्थित भूखण्ड जोकि खसरा न0 2490 व 2491 में स्थित है एवं जिसका रकबा 2148 वर्ग मी0 है पर होटल के निर्माण की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्रचलित हरिद्वार महायोजना 2001 के अनुसार प्रश्नगत स्थल का भू–उपयोग आवासीय के अन्तर्गत है। जोनिंग रेगुलेशन के अनुसार उक्त भूअपयोग के अन्तर्गत होटल का निर्माण विशेष परिस्थितियों में प्राधिकरण बोर्ड द्वारा ही अनुमन्य किया जा सकता है। भवन उपविधि के अनुसार होटल के निर्माण हेतु न्यूनतम आवश्यक भूखण्ड क्षेत्रफल 1500 वर्ग मी0 होना आवश्यक है आवेदक का भूखण्ड क्षेत्रफल अनुमन्य से अधिक है। प्रश्नगत स्थल का भूपयोग प्रस्तावित महायोजना के प्रारूप (2025) के अनुसार आवासीय प्रदर्शित है।

अतः आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत होटल के निर्माण के अनुमन्य का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

मद सं0–46(22) अन्य मद अध्यक्ष की अनुमति से

(1) हरिद्वार ज्वालापुर रोड़ पर आर्यनगर चौक के समीप श्री मति नीता रानी व श्री नीरज कुमार द्वारा प्रस्तावित होटल निर्माण की स्वीकृति विषयक।

विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस प्रकरण पर विस्तृत एवं औचित्यपूर्ण विवरण तैयार कर परिचालन विधि से स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया जाये।

अन्त में उपाध्यक्ष द्वारा अध्यक्ष महोदय को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक हेतु व्यस्ततम कार्यक्रमों में से समय प्रदान करने हेतु विशेष आभार व्यक्त करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक को समाप्त किया गया।

EXECUTIVE ENGIEER
IRRIGATION DIVISION
HARIDWAR

secretary

vice chairman

chairman

S. T. C. P.
T & C Planning Deptt.,
Department of Housing,
Govt. of Uttarakhand Dehradun